



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 चैत्र 1932 (श0)
(सं0 पटना 232) पटना, बुधवार, 7 अप्रील 2010

बिहार विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

30 मार्च 2010

सं0 वि०स०वि०-15/2010-1157/वि०स०।—“पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010”, जो बिहार विधान-सभा में दिनांक 30 मार्च, 2010 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,

सचिव,

बिहार विधान-सभा।

[वि०स०वि०-13/2010]

पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2010

पटना विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 (बिहार अधिनियम 24, 1976) को संशोधित करने के लिए विधेयक।

प्रस्तावना:—भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।—(1) यह अधिनियम पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2010 कहा जा सकेगा।

(2) यह तुरत प्रवृत्त होगा।

2. बिहार अधिनियम 24, 1976 की धारा-8 का संशोधन।—पटना विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की धारा-8 में (10) के पश्चात् निम्नलिखित एक नया (11) जोड़ा जाएगा:—

“(11) विधि परामर्शी”

3. बिहार अधिनियम 24, 1976 की धारा-11 का संशोधन।—पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा-11 की उप-धारा (6) के बाद निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा:—

“ परन्तु, अनुसचिवीय कर्मचारी वृन्द (स्टाफ) एवं अन्य सेवकों की ऐसी नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा गठित चयन समिति की अनुशंसा पर की जाएगी।”

4. बिहार अधिनियम 24, 1976 की धारा 14क का संशोधन—(1) पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा-14क की उप-धारा (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी:—

“(1) वित्तीय सलाहकार पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा। वह कुलाधिपति द्वारा, राज्य सरकार की अनुसंशा पर भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा अथवा भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य लेखा सेवाओं के पदाधिकारियों के बीच से या तो प्रतिनियुक्ति पर अथवा पुनर्नियोजन द्वारा नियुक्त किया जाएगा। वह राज्य सरकार के उपायुक्त से अन्यून पंक्ति के होंगे। जब तक ऐसे किसी पदाधिकारी की नियुक्ति नहीं हो जाती है तब तक वर्तमान पदधारी वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य करना जारी रख सकेगा।”

(2) पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा-14क की उप-धारा (2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी:—

“(2) वित्तीय सलाहकार की सेवा के निबंधन और शर्तें राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाएगी और वह सामान्यतः तीन वर्षों तक पदधारण करेगा/करेगी।”

5. बिहार अधिनियम 24, 1976 में एक नयी धारा-14 ख को जोड़ा जाना।—पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की “धारा-14 क” के बाद निम्नलिखित नयी धारा-14 ख जोड़ी जायेगी:—

“14 ख विधि सलाहकार।—(1)विधि सलाहकार पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा। वह राज्य सरकार द्वारा, बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों अथवा ऐसे अधिवक्ताओं के बीच से, जो उच्च न्यायालय में सरकारी सलाहकार रह चुके हों अथवा ऐसे अधिवक्ताओं के बीच से जो दस वर्षों से अन्यून विधि व्यवसाय में उच्च न्यायालय में रहा हो या तो प्रतिनियुक्ति पर अथवा पुनर्नियोजन द्वारा, नियुक्त किया जाएगा। विधि सलाहकार की सेवा के निबंधन और शर्तें राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाएगी और वह सामान्यतः तीन वर्षों तक पदधारण करेगा/करेगी।

(2) विधि सलाहकार कुलपति के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेगा। ऐसे सभी विषयों में, जिनमें विधिक विवाद अन्तर्गत हो अथवा विधिक विवाद उत्पन्न होने की संभावना हो, विधि सलाहकार से परामर्श लेना अनिवार्य होगा।

(3) जहाँ कुलपति अथवा सिंडिकेट द्वारा, सलाहकार के परामर्श के प्रतिकूल निर्णय लिया गया हो, वैसे मामलों को राज्य सरकार को निर्देशित कर दिया जायगा और जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(4) भारत के सभी न्यायालयों में विश्वविद्यालय के मामलों का प्रतिवाद करने के लिए विधि सलाहकार कुलपति के अनुमोदन से वकीलों/विधिवेत्ताओं का पैनल तैयार करेगा।

6. बिहार अधिनियम 24, 1976 की धारा-19 का संशोधन।—पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा-19 की उप-धारा (12) में शब्द “एक लाख” शब्द “दस लाख” द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

7. बिहार अधिनियम 24, 1976 की धारा-34 का संशोधन।—पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा-34 के बाद निम्नलिखित एक नयी धारा-34क जोड़ी जाएगी:—

“34क— किसी परिनियम और अधिनियम के उपबंध के बीच कोई विरोध होने की दशा में अधिनियम अभिभावी होगा।”

8. बिहार अधिनियम 24, 1976 की धारा-47 का संशोधन—पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा-47 की उप-धारा (3) के पश्चात् एक नयी उप-धारा (4) निम्न रूप में जोड़ा जायगा—

“ (4) राज्य सरकार किसी भी सम्बद्ध/अंगीभूत महाविद्यालयों को अपने द्वारा तय मानकों के आधार पर उत्कृष्ट कोटि के केन्द्र के रूप में चयन करने का निर्णय ले सकेगी। ऐसे महाविद्यालय राज्य सरकार द्वारा तय किए गए अतिरिक्त अनुदान एवं विशेष सुविधाओं के पात्र होंगे।

9. बिहार अधिनियम 24, 1976 धारा-64 का संशोधन।—पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा-64 की उप-धारा (क) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी:—

“(क) किसी अधिनियम, नियमावली, परिनियम, विनियम, एवं अध्यादेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए, भी विश्वविद्यालयों के अध्यापन, गैर अध्यापन, प्रशासनिक कर्मचारी जिसमें इसमें निम्नतर सेवक भी शामिल हैं, की सेवा-निवृत्ति की तारीख राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित की जाएगी:

परन्तु, विश्वविद्यालय किसी भी दशा में विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी की सेवा अवधि, राज्य सरकार द्वारा यथा नियत, उसके द्वारा सेवा-निवृत्ति की आयु पूरी करने के पश्चात् नहीं बढ़ाएगा।”

10. बिहार अधिनियम 24, 1976 की धारा-68 का संशोधन।—पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा-68 की उप-धारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित एक नयी उप-धारा (3) जोड़ी जाएगी:—

“ (3)—किसी अधिनियम, नियमावली, परिनियम, विनियम अथवा अध्यादेश के अधीन सरकारी कर्मचारियों पर लागू किसी बात के होते हुए भी, वही बात तब तक विश्वविद्यालय के कर्मचारियों पर स्वतः लागू नहीं होगी जब तक राज्य सरकार द्वारा इसे प्रभावी करने हेतु अधिसूचना निर्गत नहीं की जाती है।”

11. व्यावृत्ति।— इस अधिनियम की धारा 8, 11, 14, 19, 47, 64 एवं 68 में किए गए संशोधनों के होते हुए भी, उनके अधीन किये गए कुछ भी अथवा किया गया कोई विनिश्चय अथवा की गई कोई कार्यवाई विधिमाम्य रूप से किया गया या की गयी मानी जाएगी तथा उक्त संशोधनों के आधार पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जाएगा।

उद्देश्य एवं हेतु

पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा 8, 11, 14, 19, 47, 64 एवं 68 में संशोधन कर विश्वविद्यालय के अधिनियम को प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से यह संशोधन लाया गया है। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पटना विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2010 को अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का अभीष्ट है।

(हरिनारायण सिंह)

भारसाधक सदस्य

पटना:

दिनांक 30 मार्च, 2010

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,

सचिव,

बिहार विधान-सभा।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 232-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>